रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-1230/2025/2242/22-2-2024-17(768)/2025

लखनऊ: दिनांक: 14 अक्टूबर, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, उन्नाव में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजबहादुर (बन्दी सं0-164/18) पुत्र श्री पुतान सिंह, जो नानाटीकुर, थाना-अजगैन, जनपद-उन्नाव का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-112/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 429/149, 436/149, 323/149, 148 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-06 उन्नाव, के दण्डादेश दिनांक 19-01-1984 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 05-05-2022 द्वारा आजीवन करावास की सजा को लघुकृत करते हुये 10 वर्ष के कारावास में परिवर्तित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 07-12-2024 अपरिहार 06 वर्ष, 10 माह, 10 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 10 माह, 15 दिन की सजा भोगी गयी है, अच्छा जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र

संयुक्त सचिव।

संख्या-1230/2025/2242(1)/22-2-2024 एवं तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।

3- पुलिस अधीक्षक, उन्नाव।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, उन्नाव।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।